प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अलवर धानुक पुत्र श्री लालाराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-2376/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-01.12.2022) दिनांक 24.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अलवर धानुक पुत्र श्री लालाराम, मसेनी, थाना-को0 फतेहगढ़, जनपद- फर्रूखाबाद का निवासी है। बन्दी की 02 माह पूर्व राजाराम जाटव नामक व्यक्ति से मार-पीट हुई थी उसी रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 08.07.1998 को राजाराम नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। 2- वादी द्वारा राजाराम जाटव की हत्या की रिपोर्ट लिखाये जाने की रंजिश में बन्दी दिनांक- 24.07.1998 को वादी के पुत्र धर्मेन्द्र नामक लड़के की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-287/1999 भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-3, फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 28.02.2004 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। 2- सत्र परीक्षण संख्या-265/1999 धारा-302 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-3, फर्रुखाबाद द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.07.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 08.08.2022 तक अपरिहार 23 वर्ष, 11 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 28 वर्ष, 02 माह, 15 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद द्वारा जनपद स्तर पर सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 10.02.2020 एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने, व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी की 02 माह पूर्व राजाराम जाटव नामक व्यक्ति से मार-पीट हुई थी उसी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 08.07.1998 को राजाराम नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया एवं 2- वादी द्वारा राजाराम जाटव की हत्या की रिपोर्ट लिखाये जाने की रंजिश में बन्दी ने दिनांक- 24.07.1998 को वादी के पुत्र धर्मेन्द्र नामक लड़के की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की श्रेणी में नहीं होने पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट- 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अलवर धानुक पुत्र श्री लालाराम को फार्म- ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अलवर धानुक (बंदी संख्या-121/2018) पुत्र श्री लालाराम, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-311/2025/1482(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-311/2025/1482/22-2-2023-17(1071)/2023

दिनांक 26 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अलवर धानुक पुत्र श्री लालाराम, मसेनी, थाना-को0 फतेहगढ़, जनपद- फर्रूखाबाद का निवासी है। बन्दी की 02 माह पूर्व राजाराम जाटव नामक व्यक्ति से मार-पीट हुई थी उसी रंजिश के कारण बंदी ने दिनांक 08.07.1998 को राजाराम नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। 2- वादी द्वारा राजाराम जाटव की हत्या की रिपोर्ट लिखाये जाने की रंजिश में बन्दी दिनांक- 24.07.1998 को वादी के पुत्र धर्मेन्द्र नामक लड़के की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-287/1999 भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-3, फर्रुखाबाद द्वारा दिनांक 28.02.2004 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिसकी अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। 2- सत्र परीक्षण संख्या-265/1999 धारा-302 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-3, फर्रुखाबाद द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 24.07.2017 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 08.08.2022 तक अपरिहार 23 वर्ष, 11 माह, 26 दिन तथा सपरिहार 28 वर्ष, 02 माह, 15 दिन की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद द्वारा जनपद स्तर पर सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 10.02.2020 एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल से छूटने पर पुनः अपराध कर सकने, वादी मुकदमा व उनके परिवार के सदस्यों में काफी आक्रोश होने, व बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा अपेन्डिक्स-बी में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी की 02 माह पूर्व राजाराम जाटव नामक व्यक्ति से मार-पीट हुई थी उसी रंजिश के कारण बन्दी ने दिनांक 08.07.1998 को राजाराम नामक व्यक्ति की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया एवं 2- वादी द्वारा राजाराम जाटव की हत्या की रिपोर्ट लिखाये जाने की रंजिश में बन्दी ने दिनांक- 24.07.1998 को वादी के पुत्र धर्मेन्द्र नामक लड़के की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अलवर धानुक पुत्र श्री लालाराम को फार्म- ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in